न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
05 / 2023	13 / 03 / 2023	26.12.2025

1. राजस्थान सरकार जये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.) वादी

बनाम

1. राधा पत्नि माधो जाति मीणा सा. श्रीपुरा
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुरा प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 175–177 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार पीपल्दा ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 175–177 पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 0.08 हैक्टे, किस्म भूमि बारानी उत्तम राधा पत्नि माधो जाति मीणा निवासी श्रीपुरा के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि उक्त आराजी पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुरा संचालित है। 2 कमरे, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक–पृथक शोचालय एवं चारदिवारी बनी हुई है। भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लिया जा रहा है अतः भूमि को सिवायचक राजस्थानक काश्तकारी सरकार के हक में किया जावे। वादी तहसीलदार पीपल्दा ने अपने वाद के साथ मौका पर्चा दिनांक 01.02.2023 का पर्चा मौका लगाया है। जिसमें बताया गया है कि श्रीपुरा के ख0नं0 124 रकबा 0.08 में मौके पर लगभग 50 वर्ष से राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुरा संचालित है। खातेदार राधा पत्नि माधो मीणा गांव में नहीं रहती है। उक्त नाम की किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी होने से असहमति जाहिर की। संलग्न खसरा गिरदावरी सं0 2077–79 ग्राम श्रीपुरा ख0नं0 124 रकबा 0.08 है0 पडत दर्ज है।

प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। खातेदार राधा पत्नि माधो मीना नि0 श्रीपुरा को जरिए तलबी नोटिस कमांक रीडर / 2023 / 1394 दिनांक 01.06.2023 दो गवाहान के हस्ताक्षरों में समल तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट " राधा पत्नि जाति मीणा नि0 श्रीपुरा को बार–बार तलाश किया गया। गांव के वासियों से पूछा तो बताया कि इस नाम के व्यक्ति दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इनके परिवार में कोई नहीं रहता है। अतः अदम तामील सेवा में रिपोर्ट पेश है।" एवं प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुरा को जारी सम्मन कमांक रीडर / 2023 / 1395 दिनांक 01.06.2023 भी दो गवाहो में हस्ताक्षरों के साथ तामील कुलिन्दा की रिपोर्ओ "प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुरा में गया वहां पर स्कूल का ताला लगा हुआ है। कोई स्टाफ नहीं होने पर तामील अदम सेवा में रिपोर्ट पेश है। तत्पश्चात श्री चन्द्रसिंह हाल प्रधानाध्यापक ग्राम श्रीपुरा की रिपोर्ट कि "ग्राम श्रीपुरा तह0 पीपल्दा के ख0नं0 124 रकबा 0.08है0 भूमि पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सन् 1954 से संचालित है भूमि के खातेदार का 70 वर्षो से कोई अता पता नहीं है। स्कूल में 2 कमरे, शौचालय पृथक–पृथक बने हुए है। हलका पटवारी से मौका रिपोर्ट लेने में आदेश फरमावे। पटवारी हलका ढीपरी चम्बल ने दिनांक 09.06.2023 को ग्राम वारिसान वार्ड पंच वार्ड नं0 6 ग्राम पंचायत ढीपरी चम्बल, प्रधानाध्यापक राजकीय

प्राथमिक विद्यालय ढीपरी चम्बल के हस्ताक्षरित मौका रिपोर्ट एवं पंचनामा'' मुताबिक जमाबन्दी ग्राम श्रीपुरा सं0 2074–77 खाता सं0 43 पर खसरा नं0 124 रकबा 0.08है0 भूमि खातेदार राधा पत्नि माधो जाति मीना सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार का लगभग 60–70 वर्षो से लापता होना ग्राम वासियों ने बताया, मुताबिक मौका खसरा नं0 124 रकबा 0.08है0 भूमि में वर्ष 1954 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीपुरा का मय बाउन्ड्री भवन बना हुआ है। मुताबिक रिकार्ड भूमि कृषि प्रयोजन हेतु है। परन्तु मौके पर अकृषि उपयोग में ली जा रही है'' पेश की है। प्रतिवादी सं0 1 की तलबी नहीं होने पर तलबी स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति कोटा संस्करण शुक्रवार दिनांक 28.11.2025 के पृष्ठ सं0 9 पर करवाकर की गई। अखबार साया से तय दिनांक 24.12.2025 तक प्रतिवादी स्वयं न प्रतिवादी की ओर से कोई प्लीडर पेश हुआ है। ना ही किसी ने कोई आपत्ति पेश की। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का ढीबरी चम्बल तह0 पीपल्दा के खातेदारी ख0नं0 124 रकबा 0.08है0 किस्म बारानी उत्तम खातेदार राधा पत्नि माधो जाति मीणा पर कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग होने से उक्त भूमि सिवायचक किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ग्राम श्रीपुरा पटवार मण्डल ढीबरी चम्बल तहसील पीपल्दा के ख0नं0 124 रकबा 0.08है0 किस्म बारानी उत्तम सिवायचक घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार पालना करें।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा